रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072021-228297 CG-DL-E-14072021-228297

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 14, 2021/आषाढ़ 23, 1943 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 14, 2021/ASHADHA 23, 1943

No. 284]

#### भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

## भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021

- सं. आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.075.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -
- 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 है ।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- (3) ये चालू और इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली प्रत्येक कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को लागू होंगे।
- 2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) के विनियम 3 में,-

3883 GI/2021 (1)

- (i) उप-विनियम (1) में, "समाधान व्यावसायिक" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक" शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) उप-विनियम (2) में, "समाधान व्यावसायिक" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक" शब्द रखे जाएंगे;
  - (iii) उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात:-
  - "(3) कोई अंतरिम समाधान व्यावसायिक या कोई समाधान व्यावसायिक, जो किसी दिवाला व्यावसायिक संस्था का निदेशक या भागीदार है, किसी कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक के रूप में कार्य जारी नहीं रखेगा यदि दिवाला व्यावसायिक संस्था या ऐसी दिवाला व्यावसायिक संस्था का कोई अन्य भागीदार या निदेशक उसी कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में किसी अन्य हितधारक का प्रतिनिधित्व करता है।"।
- 3. मूल विनियमों के विनियम 4 में, "अस्थायी समाधान व्यावसायिक" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक" शब्द रखे जाएंगे।
- 4. मूल विनियम के विनियम 4क के उप-विनियम (2) के खंड (ख) में, "दिवाला व्यावसायिक" शब्दों के स्थान पर "समाधान व्यावसायिक" शब्द रखे जाएंगे।
- 5. मूल विनियमों में, विनियम 4क के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

#### "4ख. कारपोरेट ऋणी के नाम और पते में परिवर्तन का प्रकटन

जहां किसी कारपोरेट ऋणी ने दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पूर्ववर्ती दो वर्षों के दौरान अपने नाम, रिजस्ट्रीकृत कार्यालय पते में परिवर्तन किया है वहां यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, प्रत्येक संसूचना, अभिलेख, कार्यवाही या किसी अन्य दस्तावेज़ में चालू नाम और रिजस्ट्रीकृत कार्यालय पते के साथ-साथ, इस प्रकार परिवर्तित सभी पूर्ववर्ती नाम(नामों) और रिजस्ट्रीकृत पते(पतो) को प्रकट करेगा।"।

- 6. मूल विनियम के विनियम 9क के उप-विनियम (1) में, "विनियम 7, 8 और 9" शब्दों और अंकों के स्थान पर "विनियम 7, 8, 8क या 9" शब्द और अंक रखे जाएंगे।
- 7. मूल विनियम के विनियम 13 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) में, "कारपोरेट ऋणी के सदस्यों, भागीदारों, निदेशकों और गारंटी दाता" शब्दों के पश्चात्, "या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- 8. मूल विनियमों के विनियम 19 के उप-विनियम (1) में, "समाधान व्यावसायिक" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक" शब्द रखे जाएंगे।
- 9. मूल विनियमों में, विनियम 27 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

#### "27. व्यावसायिक की नियुक्ति

- (1) समाधान व्यावसायिक, अपनी नियुक्ति के सात दिन के भीतर किन्तु दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से सैंतालीसवें दिन के अपश्चात्, विनियम 35 के अनुसार कारपोरेट ऋणी के ऋजु मूल्य और समापन मूल्य का अवधारण करने के लिए दो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक नियुक्त करेगा।
- (2) यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, उप-विनियम (1) के अधीन रिजस्ट्रीकृत मूल्यांककों के अतिरिक्त, कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के संचालन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में अपनी सहायता के लिए किसी व्यावसायिक को नियुक्त कर सकेगा, यदि उसकी यह राय है कि ऐसे व्यावसायिक की सेवाएं अपेक्षित हैं और ऐसी सेवाएं कारपोरेट ऋणी के पास उपलब्ध नहीं हैं।
- (3) यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, इस विनियम के अधीन किसी व्यावसायिक को निष्पक्ष रूप से एक वस्तुपरक और पारदर्शी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए नियुक्त करेगा:

परन्त् निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त नहीं किया जाएगा, अर्थात्:-

- (क) समाधान व्यावसायिक का कोई नातेदार;
- (ख) कारपोरेट ऋणी का कोई नातेदार;
- (ग) दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान किसी भी समय कारपोरेट ऋणी का कोई लेखापरीक्षक;
- (घ) ऐसी दिवाला व्यावसायिक संस्था का कोई भागीदार या निदेशक, जिसका समाधान व्यावसायिक एक भागीदार या निदेशक है।
- (4) इस विनियम के अधीन नियुक्त किए गए व्यावसायिक की फीस और उसके द्वारा उपगत अन्य व्यय के लिए बीजक व्यावसायिक के नाम में प्रस्तुत किए जाएंगे और उनका भुगतान सीधे ऐसे व्यावसायिक के बैंक खाते में किया जाएगा।"
- 10. मूल विनियमों के विनियम 35क के उप-विनियम (2) में, "बोर्ड को सूचित करते हुए" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
- 11. मूल विनियमों के विनियम 40ख में, उप-विनियम (1क) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
  - "(1ख) समाधान व्यावसायिक, विनियम 35क के अधीन अपनी राय और अवधारणा के ब्यौरे सूचित करते हुए, दिवाला प्रारंभ होने के एक सौ चालीसवें दिन या उससे पूर्व, प्ररूप सी.आई.आर.पी. 8 फाइल करेगा:

परन्तु प्ररूप सी.आई.आर.पी. 8 का फाइल किया जाना तब तक देय नहीं हो जाएगा जब तक कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 के प्रारंभ की तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त न हो गई हो।"

- 12. मूल विनियम के प्ररूप ज में,-
  - (i) मद 9 के नीचे, सारणी में, "विनियम 35क" से संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा।
  - (ii) मद 14 के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-
  - "14क. क्या समाधान व्यावसायिक ने विनियम 35क के अनुसार,-
    - (क) दिवाला प्रारंभ होने की तारीख के एक सौ पैंतीसवें दिन या उससे पूर्व न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन किया है:

#### हां/नहीं

(ख) दिवाला प्रारंभ होने की तारीख के एक सौ चालीसवें दिन या उससे पूर्व बोर्ड के समक्ष प्ररूप सी.आई.आर.पी. 8 फाइल किया है:

हां/नहीं।"

डॉ. नवरंग सैनी, पूर्णकालिक सदस्य

[विज्ञापन**-**III/4/असा\_/149/2021-22]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 432, तारीख 30 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 98, तारीख 15 मार्च, 2021 में, अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.070, तारीख 15 मार्च, 2021 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2021 द्वारा किया गया था।

# INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2021

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2021.

**No. IBBI/2021-22/GN/REG075.**—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely: -

- 1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2021.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  - (3) They shall apply to every corporate insolvency resolution process ongoing or commencing on or after the date of coming into force of these regulations.
- 2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), in regulation 3,-
  - (i) in sub-regulation (1), for the words "a resolution professional", the words "an interim resolution professional or a resolution professional, as the case may be," shall be substituted;
  - (ii) in sub-regulation (2), for the words "a resolution professional", the words "an interim resolution professional or a resolution professional, as the case may be," shall be substituted;
  - (iii) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
  - "(3) An interim resolution professional or a resolution professional, who is a director or a partner of an insolvency professional entity, shall not continue as the interim resolution professional or resolution professional, as the case may be, in a corporate insolvency resolution process, if the insolvency professional entity or any other partner or director of such insolvency professional entity represents any other stakeholder in that corporate insolvency resolution process."
- 3. In the principal regulations, in regulation 4, for the words "interim resolution professional", the words "interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be," shall be substituted.
- 4. In the principal regulations, in regulation 4A, in sub-regulation (2), in clause (b), for the words "insolvency professionals", the words "resolution professional" shall be substituted.
- 5. In the principal regulations, after regulation 4A, the following regulation shall be inserted, namely:-

#### "4B. Disclosure of change in name and address of corporate debtor.

Where a corporate debtor has changed its name or registered office address during the period of two years preceding the insolvency commencement date, the interim resolution professional or resolution professional, as the case may be, shall disclose all the former name(s) and registered office address(es) so changed along with the current name and registered office address in every communication, record, proceeding or any other document."

- 6. In the principal regulations, in regulation 9A, in sub-regulation (1), for the word and figures "regulation 7, 8 or 9,", the word and figures "regulation 7, 8, 8A or 9," shall be substituted.
- 7. In the principal regulations, in regulation 13, in sub-regulation (2), in clause (b), after the words "corporate debtor", the words "or their authorised representatives" shall be inserted.
- 8. In the principal regulations, in regulation 19, in sub-regulation (1), for the words "the resolution professional", the words "the interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be," shall be substituted.
- 9. In the principal regulations, for regulation 27, the following regulation shall be substituted, namely:-

#### "27. Appointment of Professionals.

(1) The resolution professional shall, within seven days of his appointment but not later than forty-seventh day from the insolvency commencement date, appoint two registered valuers to determine the fair value and the liquidation value of the corporate debtor in accordance with regulation 35.

- (2) The interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be, may appoint any professional, in addition to registered valuers under sub-regulation (1), to assist him in discharge of his duties in conduct of the corporate insolvency resolution process, if he is of the opinion that the services of such professional are required and such services are not available with the corporate debtor.
- (3) The interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be, shall appoint a professional under this regulation on an arm's length basis following an objective and transparent process:

Provided that the following persons shall not be appointed, namely: -

- (a) a relative of the resolution professional;
- (b) a related party of the corporate debtor;
- (c) an auditor of the corporate debtor at any time during the period of five years preceding the insolvency commencement date;
- (d) a partner or director of the insolvency professional entity of which the resolution professional is a partner or director.
- (4) The invoice for fee and other expenses incurred by a professional appointed under this regulation shall be raised in the name of the professional and be paid directly into the bank account of such professional."
- 10. In the principal regulations, in regulation 35A, in sub-regulation (2), the words "under intimation to the Board" shall be deleted.
- 11. In the principal regulations, in regulation 40B, after sub-regulation (1A), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -
  - "(1B) The resolution professional shall file Form CIRP 8 intimating details of his opinion and determination under regulation 35A, on or before the one hundred and fortieth day of the insolvency commencement date:

Provided that the filing of Form CIRP 8 shall not become due unless a period of thirty days has elapsed from the date of commencement of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2021."

- 12. In the principal regulations, in Form H,-
- (i) under item 9, in the table, the entry 'Regulation 35A' shall be deleted.
- (ii) after item 14, the following item shall be inserted, namely:-
  - "14A. Whether the resolution professional has, in accordance with regulation 35A,-
  - (a) applied to the Adjudicating Authority on or before the one hundred and thirty-fifth day of the insolvency commencement date:

    Yes / No
  - (b) filed Form CIRP 8 with the Board on or before the one hundred and fortieth day of the insolvency commencement date:

    Yes / No"

Dr. NAVRANG SAINI, Whole-time Member

[ADVT.-III/4/Exty./149/2021-22]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG004, dated 30th November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 30th November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2021 published *vide* notification No. IBBI/2020-21/GN/REG070, dated the 15th March, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 98 on 15th March, 2021.